

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बी०एन०एस० स्कूल
कुरसातो चौखण्डी-वाराणसी

पत्रांक: मान्यता/ 17360-63 /2018-19

दिनांक: 14 फरवरी, 2019

विषय : विद्यालय के स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या: 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक: 08 मई, 2013 में दिये गये निर्देश के क्रम में मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक: मान्यता/8915-17/2015-16 दिनांक: 22-12-2015 के द्वारा बी०एन०एस० स्कूल कुरसातो चौखण्डी, वाराणसी को दिनांक: 01-07-2015 से दिनांक: 31-03-2018 तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिए कक्षा-नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गयी थी। इस सन्दर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक: रहित के द्वारा अन्य पत्रजात संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता को नवीनीकृत किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के परीक्षणोपरान्त एवं दिनांक: 01-07-2015 से दिनांक: 31-03-2018 के बीच मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ। उक्त विद्यालय, पंजीकृत किरायेदारी के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप बी०एन०एस० स्कूल कुरसातो चौखण्डी, वाराणसी को इस कार्यालय के पत्रांक: /: बेसिक/ 8915-17 /2015-2016/ दिनांक: 22.12.2015 के द्वारा दी गयी मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्या: 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक: 08 मई, 2013 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित 01 या 01 से अधिक शर्तों का उल्लंघन करने अथवा अनूसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्या: 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक: 08 मई, 2013 के नियम-13 के उप नियम (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवा कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने, पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।

भवदीय



(जय सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

उसी तिथि को।

पृ०सं०: /मान्यता/ /2018-19

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 3- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण/नगर क्षेत्र, वाराणसी।

(जय सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।